



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102021-230548
CG-DL-E-20102021-230548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3982]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943

No. 3982]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 4331(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर—हल्दिया और बोकारो—धामरा पाइपलाइन (JHBDPL) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धामरा पाइपलाइन और स्पर पाईप लाईन प्रोजेक्ट, 3 बी सेक्सन,
पश्चिम बंगाल

अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	ब्लक	मौजा	थाना नं	नक्शा	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7		
पुर्व मेदिनीपुर	तामलुक&1	श्रीरामपुर	135	एल-आर-	16	0	00	60
					17	0	06	30
					18	0	00	80
					19	0	00	60
					21	0	06	50
					22	0	07	30
					28	0	00	20
					29	0	04	90
					30	0	01	85
					32	0	00	20
					36	0	00	80
					37	0	03	72
					38	0	04	10
					39	0	00	60
					48	0	00	20
					49	0	02	00
					51	0	03	64
					52	0	06	88
					53	0	05	25
					32/766	0	05	68

जिला	ब्लक	मौजा	थाना नं	नक्शा	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7		
पुर्व मेदिनीपुर	तामलुक -1	सतकलुआ	96	एल.आर.	250	0	00	60
					252	0	05	06
					253	0	01	60
					259	0	00	40
					260	0	03	02

	261	0	04	85
	262	0	05	25
	267	0	11	35
	268	0	04	25
	270	0	00	20
	273	0	00	20
	278	0	00	80
	279	0	03	22
	280	0	04	45
	281	0	00	22
	319	0	01	84
	320	0	04	85
	327	0	01	41
	328	0	00	60
	332	0	00	80
	333	0	03	65
	334	0	03	20
	335	0	01	03
	336	0	02	85
	337	0	01	00
	338	0	00	20
	339	0	04	25
	340	0	04	84
	341	0	04	45
	407	0	00	80
	408	0	00	20
	412	0	17	00
	413	0	06	69
	414	0	12	15
	415	0	01	60
	416	0	00	21
	417/443	0	02	22
	268/446	0	00	80
	281/454	0	05	85

[फा. सं. एल.-14014/98/2021-जी.पी.-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 4331(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

**JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION,
WEST BENGAL**

SCHEDULE**State: West Bengal**

District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Purba Medinipur	Tumluk-1	Srirampur	135	LR	16	0	00	60
					17	0	06	30
					18	0	00	80
					19	0	00	60
					21	0	06	50
					22	0	07	30
					28	0	00	20
					29	0	04	90
					30	0	01	85
					32	0	00	20
					36	0	00	80
					37	0	03	72
					38	0	04	10
					39	0	00	60
					48	0	00	20
					49	0	02	00
					51	0	03	64
					52	0	06	88
					53	0	05	25
					32/766	0	05	68

District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Purba Medinipur	Tumluk-1	Satkalua	96	LR	250	0	00	60
					252	0	05	06
					253	0	01	60
					259	0	00	40
					260	0	03	02
					261	0	04	85
					262	0	05	25
					267	0	11	35
					268	0	04	25
					270	0	00	20
					273	0	00	20
					278	0	00	80
					279	0	03	22
					280	0	04	45
					281	0	00	22
					319	0	01	84
					320	0	04	85
					327	0	01	41
					328	0	00	60
					332	0	00	80
					333	0	03	65
					334	0	03	20
					335	0	01	03
					336	0	02	85
					337	0	01	00
					338	0	00	20
					339	0	04	25
					340	0	04	84
					341	0	04	45
					407	0	00	80
					408	0	00	20
					412	0	17	00
					413	0	06	69
					414	0	12	15
					415	0	01	60
					416	0	00	21
					417/443	0	02	22
					268/446	0	00	80
					281/454	0	05	85

[F. No. L-14014/98/2021-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 4332(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर—हल्दिया और बोकारो—धामरा पाइपलाइन (JHBDPL) और स्पर पाइप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धामरा पाइपलाइन और स्पर पाइप लाईन प्रोजेक्ट, 3 बी सेक्सन,
पश्चिम बंगाल**

अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	ब्लॉक	मौजा	थाना नं.	नक्शा	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर—आर—वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7		
पूर्वा भेदनीपूर	तुमलुक—1	शिमुलिआ	260	एल.आर.	1692	0	00	20
					1742	0	01	00
					1745	0	02	05
					2688	0	00	66
					2706	0	01	43
					2726	0	00	24

[फा. सं. एल.—14014/98/2021-जी.पी.—II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 4332(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

**JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION,
WEST BENGAL**

SCHEDULE

State: West Bengal

District	Block	Mouza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Purba Medinipur	Tumluk-1	Shimulia	260	LR	1692	0	00	20
					1742	0	01	00
					1745	0	02	05
					2688	0	00	66
					2706	0	01	43
					2726	0	00	24

[F. No. L-14014/98/2021-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.